वाद संख्या - 56/2023 धारा - 144 द० प्र० सं०

सद्दाम हुसैन वगैरह ———— प्रथम पक्ष

बनाम

शेख सुलेमान वगैरह ———— द्वितीय पक्ष

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2.7.23	**आदेश** आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भुमि बजरीये केवाला संख्या – 4430 दिनांक 15/12/2022 को पावर से जितेन्द्र साव वगैरह बनाम समीना खातून पति शेख भोला एवं सहीना खातून पति शेख सिकन्दर को हासिल है। जिसका विवरण निम्नवत है। ग्राम – कुदर गादी रामगढ थाना – बगोदर परगना – रामपूर सब रजिस्ट्री ऑफिस डुमरी जिला – गिरिडीह के अंतर्गत खाता नं0 – 13 प्लॉट नं0 – 1286 रकबा – 07 डी0 चौहदी उ0 – नीज लेख्यकारी वगैरह, दं0 – रास्ता, पू0 – शेख जुमाई, पं0 – शेख जुमाई दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भुमि द्वितीय पक्ष के द्वारा जितेन्द्र साव पिता स्व0 त्रिलोकी नायक वो कटी महतो पिता स्व0 किशुन महतो को दस्तावेज सामान्य अधिकार पत्र संख्या 61, दिनांक 13/03/2020 को निष्पादित किया है तथा सामान्य अधिकार पत्र से प्रथम पक्ष को विवादग्रस्त भुमि हासिल है। द्वितीय पक्ष के पावर हासिल करने वाले के द्वारा उक्त वादग्रस्त भुमि की बिक्री करने के बाद भी द्वितीय पक्ष के द्वारा निब की खुदाई कर चाहरदिवारी का निर्माण करना चहतें है जिसको लेकर विवाद है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में (1) बजरीये केवाला संख्या – 4430 दिनांक 15/12/2022 की छायाप्रति (2) सामान्य दस्तावेज संख्या – 61 दिनांक 13/03/2020 की छायाप्रति (3) ऑनलाईन शुद्धि पत्र की छायाप्रति राजस्व रसीद संख्या – 2226, 8622 फार्म 1 की छायाप्रति दाखिल किया गया	

है।

द्वितीय पक्ष की ओर से लिखित रुप से अपना पक्ष रखा। द्वितीय पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भुमि खतियानी रैयत जमीन है जो द्वितीय पक्ष के सुलेमान शेख से धोखे से पावर ले लिये तथा वादग्रस्त जमीन को प्रथम पक्ष के पास बिक्री कर दिये है जिसका मामला न्यायालय में लम्बित है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियान कि छायाप्रति अधतन लगान रसीद संख्या – 9791 की छायाप्रति ऑरिजनल सूट संख्या – 79/2023 की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

उभय पक्षो के द्वारा दाखिल दस्तावेज तथा थाना प्रभारी बगोदर के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। दस्तावेज के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मामला हक हकियत को लेकर है जिसके निपटारे हेतु सक्षम न्यायालय में ऑरिजनल सूट संख्या – 79/2023 दाखिल किया जा चुका है।

अतः उक्त विवेचन के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.08.24 13:48:14 +05:30
Location: 192.168.1.12